FROM : D FAX NO. : 0522 2721153 Aug. 28 2009 02:40PM P1

संख्या: क0नि0–2–1984 / ग्यारह–2009–9(32)/09

प्रेषक,

एस0एन0 प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2009

विषय: शासनादेश संख्या–क0नि0–2–1277/ग्यारह–2009–9(32)/09 दिनांक 09.06.2009 द्वारा ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 2007–2008 में दिनांक 01–01–2008 से दिनांक 30–09–2008 तक की अवधि तथा सीजन वर्ष 2008–2009 में दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 30–09–2009 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटें, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिए जाने से सम्बन्धित जारी समाधान योजना में विकल्प प्रार्थना–पत्र देने एवं समाधान राशि जमा किये जाने के लिये अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

S. C. (V)
28-08-09
8 Copy

महोदय,

प्रदेश के ईंट निर्माता व्यापारियों के लिये सीजन वर्ष 2007–08 (दिनांक 01–01–2008 से दिनांक 30–09–2008 तक की अवधि के लिये) तथा सीजन वर्ष 2008–2009 (दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 30–09–2009 तक की अवधि) के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटों, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिए जाने सम्बन्धित समाधान योजना के विषय में शासनादेश संख्या–क0नि0–2–1277/ग्यारह–2009–9(32)/09 दिनांक 09.06.2009 जारी किया गया है।

2– सम्यक विचारोपरान्त राजस्व हित में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ईंट निर्माताओं को अवसर प्रदान करते हुए सीजन वर्ष 2007–08 में दिनांक 01–01–2008 से दिनांक 30–09–2008 तक की अवधि के लिये तथा सीजन वर्ष 2008–2009 में दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 30–09–2009 तक की अवधि के लिये जारी समाधान योजना में विकल्प प्रार्थना–पत्र देने एवं समाधान राशि जमा किये जाने के लिये अवधि बढ़ाई जाय। शासनादेश संख्या–क0नि0–2–1277/ग्यारह–2009–9(32)/09 दिनांक 09.06.2009 के अनुसार जो ईंट निर्माता व्यापारी समाधान योजना अपनाने के लिये अर्ह हैं, वे अपना विकल्प प्रार्थना–पत्र, निर्धारित समस्त समाधान राशि के जमा करने के प्रमाण के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस शासनादेश की तिथि से 25 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।

3– कृपया तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा समाधान योजना विषयक समय बढ़ाये जाने का व्यापक प्रचार व प्रसार करने का कष्ट करें। इस अवधि में समाधान योजना में प्राप्त धनराशि के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
28.8.09
(एस0एन0 प्रसाद)
विशेष सचिव।

पत्र संख्या-विधि-1(1)ईंट भट्ठा (2009-10)/ 763/0910044 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अगस्त, 28 ,2009

प्रतिलिपि:- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को उपरोक्त पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि इसकी पर्याप्त मात्रा में प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ व्यापारी संघों/अधीवक्ता संघों को अवगत कराए तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें इसके अतिरिक्त भट्ठा समाधान योजना के संबंध में पूर्व निर्धारित प्रारुप में प्राप्त धनराशि के ऑकड़े भी दिनांक 22-09-09 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

28/8/09
(वाई0एस0सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।